राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज. जयपुर
दूरभाष सं. 0141–2222469, 2226760 फेक्स सं. 0141–2222403 ईमेल : वेबसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक : F.55( )SBM / CE / DLB / 2018 / LAS / डेगूं रोकथाम / 49140-330 दिनांक : 13/06/18

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय : जलजनित डेंगू वायरस की रोकथाम के लिये आवश्यक कार्यवाही करने बाबत।

प्रसंग : संयुक्त सचिव–चतुर्थ, लोकायुक्त सचिवालय का पत्रांक : प.35(228) लोआस / 2017 / 2383 दिनांक 16.04.2018 के क्रम में।

———

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा लोकायुक्त सचिवालय ने राजस्थान राज्य में फैल रही डेंगू बीमारी के वायरस की रोकथाम करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देश प्रदान किये हैं।

इस सम्बन्ध में लेख है कि महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तथा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डेंगू वायरस की रोकथाम के लिये निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं :–

1. **व्यक्तिगत सुरक्षा :**
   - नागरिकों को सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर घरेलु कीटनाशकों एरोसोल एवं मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिये।
2. **जैविक नियंत्रण :**
   - लार्वीवोरस मछली बड़े पानी के टैंक या कन्टेनर्स में डालनी चाहिये।
   - एंड्रोटॉक्सीन बैक्टीरिया, बीटीएच–14, मच्छरों पर नियंत्रण के लिये उपयोगी है।
3. **रासायनिक नियंत्रण :**
   - बड़े जल के पात्रों में जहां पानी को सुरक्षित रखा जाता है, वहां –
     1. लार्वीसाइड़, टैमेफोज, एक फोस्फेट कम्पाउण्ड़ का प्रयोग किया जाता सकता है, जो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है।
     2. **एडलटिसाइड :**
        ए. पाइरिथ्रम स्प्रे, फॉगिंग मशीन अथवा फ्लिट पम्प से छिड़का जाता है।

बी. मैलिथियोन छिड़काव – इसका धुंऑ वातावरण में रहता है तथा हवा के सहारे फैलता है।'

4. **वैधानिक उपचार :**

नागरिक उपविधियॉं – यदि किसी क्षेत्र में मच्छरों के ब्रीडिंग का क्षेत्र पनपता है, तो जुर्माने/सजा का प्रावधान किया जाये। यह प्रावधान मुम्बई, नवी मुम्बई व चण्ड़ीगढ़ में अपनाया जा रहा है।

भवन निर्माण उपविधियां – इसके तहत जलग्रहण टैंक्स, मच्छर रहित भवन, सनशेड़ आदि के लिये नियम/उपनियम बनाये जाकर पानी के सड़ने के स्थान न रखने के लिये प्रावधान किये जायें।

पर्यावरण स्वास्थ्य उपविधियां – कचरे, पुराने टीन, टायर व अन्य अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की उपविधियॉं बनाई जानी चाहिये। सोलिड़ वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 के तहत कार्यवाही की जावे।

5. **स्वास्थ्य एवं शिक्षा :**

- आम जन को एडिस मच्छर के नियंत्रण के बारे में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक द्वारा जानकारी दी जानी चाहिये।
- विशेष अभियान चलाये जाकर मास मीडिया, स्थानीय समाचार–पत्रों, सोशियल मीड़िया, एफ.एम. रेडियो व टी.वी. के माध्यम से होर्डिंग्स, माइक व ड्रम द्वारा पैम्फलेट, हैंडबिल के द्वारा यह बताया जाना चाहिये कि एडिस मच्छर का प्रसार किस प्रकार रोका जा सकता है ? इसका क्या उपचार कहां उपलब्ध है, यह भी बताया जाना चाहिये।

1. **घरेलु स्तर पर :**

- यह बताया जाना चाहिये कि वह मच्छर दिन के समय काटता है तथा कमरों, बंद अलमारियों, बाथरूम व किचिन में एरोसोल छिड़ककर 15–20 मिनट कमरा बंद रखने से ये मच्छर मर जाते हैं। इन मच्छरों के काटने का समय सुबह जल्दी अथवा सायंकाल है।
- सुरक्षात्मक कपड़े–पूरी बांहों की कमीज व पेंट के दिन के समय पहनी जाये। रात को सोते वक्त मच्छरदानी का उपयोग किया जाये।
- मच्छर भगाने वाले स्प्रे काम में लिये जायें अथवा नीम की पत्तियां जलाई जायें।
- घर के दरवाजे, खिड़कियों पर स्क्रीन या जाली लगाई जाये।
- पानी रखने वाले सभी बर्तन ढ़करकर रखे जायें।
- सप्ताह में एक बार पानी स्टोरेज के लिये बनाये गये टैंक, पात्र, कूलर को अच्छी तरह साफ किया जाये।

- गटर लाईन चौक हो गई हो, तो उसे चैक कराया जाये।
- यदि छत पर पानी निकासी का प्रबन्ध नहीं है, तो उसे भी चैक किया जाये।

2. **समाज स्तर पर :**
   - व्यापारिक गतिविधियों, जिनमें पुराने टायर काम में आते हैं, वे इस मच्छर के लार्वा के लिये स्वर्ग है। इस प्रकार के टायर का उपयोग खत्म कर टायरों को नष्ट किया जाना चाहिये।
   - बड़े पानी के जलग्रहण टंकियों व पात्रों को साफ करना व उनका ढ़काव होना आवश्यक है।
   - खुले स्थानों में लम्बी घास को कटवाया जावे।
   - बड़े वाटर टैंक को साफ करना व खाली करना सम्भव नहीं हो, तो उसमें टेमफोज की दवा साप्ताहिक रूप से ड़ाली जावे।
   - रिहायशी इलाकों में फॉगिंग की जाये।
3. **स्कूल, कॉलेज व अस्पतालों के लिये :**
   - प्रत्येक सप्ताह छत पर रखी पानी की टंकियों व पानी इकट्ठा करने वाले पात्रों, कूलर वगैराह की सफाई करवाई जावे। सभी पानी की टंकियों पर मॉस्क्यिूटो प्रूफ ढक्कन रखें जायें।

6. **जीका वायरस :**

जीका वायरस के लिये हमें क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, इसके लिये भी स्पष्ट निर्देश हैं :–

क्रियात्मक निर्देश :

- सभी पानी के टैंकों व पात्रों पर कसा हुआ ढ़क्कन होना चाहिये।
- काम में न आने वाले डिब्बे, जंक, टायर व नारियल के खोल नष्ट कर दिये जावें।
- डेजर्ट कूलर को प्रत्येक सप्ताह खाली कर, रगड़कर व सुखाकर दोबारा भरना चाहिये।
- खूबसूरत दिखने वाले होटलों व घरों के टैंकों में लार्वीवोरस मछली डालनी चाहिये।
- सप्ताह में एक दिन पानी के सभी बर्तनों व पात्रों को साफ करना चाहिए।
- ज्वर आने पर पैरासिटामोल काम में लें ।

नहीं करने वाले काम :

- पानी को अपने घर के आस–पास कूलर, बाल्टी, बैरल, गमलों अथवा कहीं भी इकट्ठा नहीं होने दें।

* टूटे हुए पात्रों, बर्तनों, बोतलों, टायरों व अन्य व्यर्थ के सामान को इधर–उधर नहीं फेंके।
* बुखार के लिये एस्प्रिन दवा न लें।

अतः महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तथा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार समस्त नगर निकायों द्वारा अपने स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जावे एवं स्थानीय स्तर पर व मीडिया में उक्त दिशा–निर्देशों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ.55( )अभि./सीई/डीएलबी/2018/RAJREDCO/4933/-612 दिनांक : 13/06/18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलेक्टर्स (समस्त), राजस्थान।
6. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, समस्त नगर निगम/परिषदें/पालिकायें, राजस्थान।
7. अतिरिक्त निदेशक/उपनिदेशक (प्रशासन), निदेशालय।
8. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
9. प्रभारी अधिकारी, सोलिड़ वेस्ट मैनेजमेंट अनुभाग, निदेशालय।
10. सहायक अभियन्ता (सोलिड़ वेस्ट मैनेजमेंट व पर्यावरण), नगर निगम/परिषद (समस्त)।
11. सुरक्षित पत्रावली।

नोडल अधिकारी वेबसाईट डाउनलोड करने हेतु

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता